

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर 492002

—: अधिसूचना :-

नवा रायपुर, दिनांक 08/07/2019

क्रमांक /3700/एफ-02/13/PMFBY/2019/14-2 :: भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2016 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 25.04.2018 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में सक्षम अनुमोदन उपरांत राज्य शासन एतद द्वारा खरीफ 2019-20 एवं रबी 2019-20 में प्रदेश के समस्त 27 जिलों में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" लागू करती है। योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है :-

1. अधिसूचित फसल :-

मौसम	फसल	
खरीफ	मुख्य फसल	धान सिंचित, धान असिंचित
	अन्य फसल	मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), मूंग, उड्ड
रबी	मुख्य फसल	चना
	अन्य फसल	गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई सरसो, अलसी,

2. बीमा ईकाई एवं अधिसूचित क्षेत्र :-

योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी मौसम के सभी अधिसूचित फसलों हेतु बीमा ईकाई "ग्राम" निर्धारित किया गया है। बीमा ईकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर उक्त फसल को संबंधित बीमा ईकाई में अधिसूचित किया जावेगा। अधिसूचित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, बीमा ईकाई (ग्राम) का नाम एवं कोड एवं अधिसूचित फसल का विवरण अंग्रेजी भाषा में परिशिष्ट-1 पर है।

3. शामिल किये जाने वाले कृषक :-

इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक व बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भू-धारक व बटाईदार) शामिल हो सकते हैं।

(क) अनिवार्य आधार पर :—ऐसे सभी कृषक जिनका मौसम खरीफ एवं रबी वर्ष 2019-20 हेतु अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण की सीमा, कृषकों के बीमा आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो, का अनिवार्य आधार पर फसल बीमा किया जाएगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा एवं कृषक इसकी सूचना संबंधित बैंक को देगा।

- (ङ) फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में :- संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जाएगी (केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अनुदान की द्वितीय किश्त प्राप्त होने की स्थिति में)।
18. क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा हानि निर्धारकों (Loss Assessor) की नियुक्ति :-चयनित बीमा कंपनी द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न क्षति जिनका विवरण बिन्दु क्रमांक-13 में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से की जायेगी तथा इसकी सूचना संचालनालय कृषि को दी जायेगी।
19. बैंक कमीशन एवं शुल्क :- क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर के अनुसार कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत खरीफ एवं रबी मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान कर नोडल विभाग को सूचित किया जावेगा।
20. योजनांतर्गत गठित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त समिति द्वारा नियमित रूप से इस योजना के संचालन की पाक्षिक समीक्षा बैठक कर कार्यवाही विवरण/प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन एवं संचालक कृषि को उपलब्ध कराया जायेगा।
21. इस अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 13 के अनुसार फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति आंकलन हेतु शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय संयुक्त समिति [District Level Joint Committee(DLJC)] निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही कर कृषकों को दावा भुगतान करवाने हेतु जिम्मेदार होंगे।
22. योजनांतर्गत गठित की जाने वाली जिला स्तरीय मार्गदर्शक समिति [District Level Steering Committee(DLSC)] फसल कटाई प्रयोगों से संबंधित प्रत्येक गतिविधियों जैसे प्रस्तावित फसल कटाई प्रयोग हेतु कार्यक्रम, इसकी जानकारी संबंधितों को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में आंकड़े अपलोड कराना, फसल कटाई प्रयोगकर्ता को प्रशिक्षण, प्रपत्र 1 एवं 2 संबंधितों को उपलब्ध कराना, फसल कटाई प्रयोग का प्रतिवेदन तैयार करना, फसल कटाई प्रयोग की जानकारी जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति को उपलब्ध कराना, अधिसूचित बीमा ईकाई में किसी कारणवश फसल कटाई प्रयोग का आयोजन न हो पाया हो तो कारण सहित उच्च ईकाई के फसल कटाई आंकड़ों को मान्य करने का प्रस्ताव जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति के अनुमोदन पर संचालक कृषि को भेजने के लिये जिम्मेदार होगी।
23. फसल कटाई प्रयोग के दौरान क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा फसल कटाई प्रयोग के क्रियान्वयन एवं निरीक्षण संबंधी आवश्यक समन्वय हेतु प्रतिनिधि अधिकारी को जिला स्तरीय मार्गदर्शक समिति [District Level Steering Committee(DLSC)] के अध्यक्ष के कार्यालय में तीन माह के लिये अनिवार्यतः संलग्न किया जावेगा।
24. योजनांतर्गत कृषक, कृषि विभाग, राजस्व (भू-अभिलेख) विभाग, बैंक/वित्तीय संस्थाएँ, क्रियान्वयक बीमा कंपनी आदि अभिकरणों से संबंधित शिकायतों का निराकरण जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति [District Level Grievance Redressal Committee(DGRC)] द्वारा 15 दिवस के भीतर किया

जावेगा। जिला स्तरीय समिति के निर्णय से संबंधित संस्था/विभाग असहमत होने अथवा शिकायत एक से अधिक जिलों को प्रभावित कर रहीं हो अथवा रूपये 25 लाख से उपर का प्रकरण हो, तो ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति द्वारा प्रकरण राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति [State Level Grievance Redressal Committee(SGRC)] को अंतरित कर दी जावेगी। राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

25. भारत सरकार द्वारा योजना कियान्वयन हेतु जारी दिशा—निर्देश अनुसार विभिन्न कार्या हेतु अंकित समय—सीमा, कार्य की पद्धति, ऑनलाईन अपलोड की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व कियान्वयक बीमा कंपनी, वित्तीय संस्थाएं एवं संचालक कृषि तथा फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़े अपलोड करने की जिम्मेदारी संचालक भू—अभिलेख की होगी।
26. कियान्वयक बीमा कंपनी को राज्य स्तरीय कार्यालय के अतिरिक्त आबंटित जिलों के मुख्यालय तथा प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर कियाशील कार्यालय स्थापित करना होगा तथा उसके द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में एक एजेंट नियुक्त किया जावेगा। उक्त जानकारी राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक के अनुमोदन तिथि से 10 दिवस के अंदर पोर्टल में दर्ज कर जिला कृषि कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगी। बीमा कम्पनी द्वारा संबंधित जिला उपसंचालक कृषि/DLMC से अभिस्वीकृति प्राप्त कर इसकी विधिवत सूचना संबंधित संस्थाओं तथा संचालनालय कृषि को अनिवार्य रूप से देना होगा।
27. बीमा कंपनी द्वारा बैंकों से प्राप्त सभी घोषणा पत्र/प्रीमियम राशि की पावती संबंधित बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराई जाएगी एवं किसी भी त्रुटि/अंतर/विसंगति पाये जाने पर इसकी सूचना संबंधित बैंक को तत्काल दिया जाएगा। उक्त विसंगतियों के निराकरण हेतु बीमा कंपनी द्वारा वित्तीय संस्था से दस्तावेज/जानकारी निर्धारित समयावधि तक ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि वित्तीय संस्था द्वारा नियत समय—सीमा में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा संबंधित प्रीमियम राशि तीन सप्ताह के भीतर बैंकों को अनिवार्य रूप से वापस किया जाना होगा, अन्यथा कृषकों को नियमानुसार दावा प्रतिपूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व बीमा कंपनी की होगी।
28. वित्तीय संस्थान/सी.एस.सी./मध्यस्थ/बीमा कंपनी कृषक के फसल का बीमा आवरण उस बीमा ईकाई में करेंगे, जिस बीमा ईकाई में कृषक का कास्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ऐसी त्रुटियों के मामले में संबंधित संस्था सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई करने हेतु जवाबदेह होंगे।
29. बैंक/वित्तीय संस्थाएं/सी.एस.सी./मध्यस्थ/बीमा कंपनी की गलती/चूक/त्रुटि के कारण योजना के तहत कोई कृषक बीमा लाभ से वंचित होता है तो, ऐसी त्रुटियों के मामले में संबंधित संस्था सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई करने हेतु जवाबदेह होंगे।
30. कियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम अनुदान की मांग हेतु संचालक कृषि को प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा कि, प्रस्तुत की जा रही मांग संबंधित मौसम में, अधिसूचित क्षेत्र में, अधिसूचित फसल के लिए, निर्धारित प्रीमियम दर पर बीमित कृषकों की संख्या के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। बीमा कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव को संचालक कृषि के स्तर पर पर्याप्त परीक्षण उपरांत नियमानुसार राज्यांश राशि के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
31. कियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा बीमा आवरण में समिलित कृषक एवं लाभार्थी कृषकों की अंतिम जानकारी संचालनालय कृषि को निर्धारित समय—सीमा में उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित

40. विवादित प्रकरण का निराकरण नहीं हो सकने की स्थिति में वाद, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिला न्यायालय के अधीन होगा।
41. भारत सरकार स्तर से कियान्वयक अभिकरण को De-Empanelled किया जाता है तो तदानुसार कियान्वयक अभिकरण के चयन को निरस्त किया जा सकता है।
42. योजना मार्गदर्शिका/निविदा शर्तों/इस अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों का पालन न करने पर बीमा कंपनी को काली सूची में डालने का अधिकार राज्य शासन को होगा।
43. इस अधिसूचना में जिन नियमों/निर्देशों का उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित मार्गदर्शिका में किये गये प्रावधानों एवं निविदा शर्तों के अनुरूप सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए बंधनकारी होगा।
45. यह अधिसूचना मौसम खरीफ वर्ष 2019 हेतु दिनांक 01.04.2019 तथा मौसम रबी वर्ष 2019–20 हेतु दिनांक 01.10.2019 से प्रभावी मानी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Mulu
(के सी. पैक्स)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 08/07/2019

पृ.क्र./3701 /एफ–02/13/PMFBY/2019/14–2

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग, छ.ग. शासन।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
5. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, वित्त/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/सहकारिता/कृषि विभाग, छ.ग. शासन।
7. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर।
8. संचालक, संस्थागत वित्त/कृषि/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी/भू-अभिलेख/आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग/जनसम्पर्क विभाग, छ.ग. रायपुर।
9. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बैरन बाजार, रायपुर।
10. महानिदेशक, छ.ग. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) रायपुर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
12. निदेशक, केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, लालपुर, रायपुर।
13. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, रायपुर।
14. संचालक अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
15. निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
16. विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।

17. कलेक्टर, जिला-....., को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग-रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/जगदलपुर/सरगुजा।
19. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर की ओर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
20. महाप्रबंधक, छ.ग. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायपुर।
21. उप महाप्रबंधक, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई।
22. क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर।
23. उप संचालक कृषि, जिला-..... को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
24. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी रायपुर।
25. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध बीमा कंपनी।

Me
 संयुक्त समिति 8/3/19
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग